सेवा में

मानननीय अध्यक्ष महोदय
हरियाणा विधानसभा
चंडीगढ़

विषय : **हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया व् कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73 के तहत हल हे में बाजरे की फसल में सुंडी के आक्रमण से हुए नुक्सान के बारे में |**

महोदय जी,

मैं इस सदन का ध्यान दक्षिण हरियाणा विशेषकर भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आदि जिलों में बाजरे की फसल में सुंडी (कैटरपिलर) कीड़े के आक्रमण से हुए भारी नुक्सान के बारे में अवगत करना चाहती हूँ | यह फसल लगभग तैयार होने की कगार पर है लेकिन इस कीड़े के भयंकर आक्रमण से लगभग तीन चौथाई फसल का नुक्सान हो चुका है| एक-एक सिरे पर चार से पांच-पांच कीड़े लग गए हैं जिससे बाजरे की 40 से 80 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है| परन्तु सरकार द्वारा अभी तक कोई भी स्पेशल गिरदावरी और आर्थिक नुक्सान की भरपाई की घोषणा नहीं की गई | मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि स्पेशल गिरदावरी कराते हुए नुक्सान की भरपाई के लिए शीघ्र घोषणा करें ताकि किसानों को हुए आर्थिक नुकसान के बोझ से बचाया जा सके|

अत: अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करती हूँ की इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री सदन के पटल पर उचित मुआवजा देने की घोषणा करें |

(किरण चौधरी)
विधायक - तोशाम